जिला परियोजना कार्यालय
राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, बेमेतरा (छ.ग.)

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

email : mis.bemetara@gmail.com

पत्र क्र./ 521 / समग्र शिक्षा/समावेशी शिक्षा/2020–21 बेमेतरा, दिनांक 8.2.21

प्रति,

डी.आई.ओ., एन.आई.सी.
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

विषय – समावेशी शिक्षा अंतर्गत संशोधित निविदा संबंधी नियम व शर्तों को अपलोड करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों हेंतु सहायक सामग्री एवं उपकरण क्रय किया जाना है। जो खुली निविदा के माध्यम से क्रय करने कलेक्टर महोदय से अनुमोदित है। तत्संबंध में समावेशी शिक्षा अंतर्गत निविदा संबंधी जानकारी, नियम व शर्ते दिनांक 04.02.2021 को आपके द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित नियम वं शर्तो मे क्रय समिति द्वारा कुछं संशोधन किया गया हैं। अतः आपसे निवेदन है कि संशोधित निविदा संबंधि नियम व शर्तो को अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न सहपत्र :–

1) निविदा संबंधी संशोधित नियम व शर्ते

जिला मिशन समन्वयक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन बेमेतरा

पत्र क्र./ 522 / समग्र शिक्षा/समावेशी शिक्षा/2020–21 बेमेतरा, दिनांक 8.2.21

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला बेमेतरा को सादर सूचनार्थ।

जिला मिशन समन्वयक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन बेमेतरा

निविदा संबंधी संशोधित नियम व शर्ते

1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त की जावेगी।

2 समाग्रियों की आपूर्ति हेतु वही फर्म पात्र होंगे जिन्हे दिव्यांगता से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष या अधिक अनुभव हों। फर्म का दिव्यांगता से संबंधित उपकरणों के उत्पादन/आपूर्ति संबंधी जीएसटी पंजीयन हो।

3 आवेदित सामग्री जिले के विकासखण्डों तक पहुंचाकर एवं चालू हालत में देना होगा, जिसके लिए पृथक से परिवाहन व्यय नही की जावेगी। दिव्यांग छात्रों को उपकरण वितरण में उपस्थित रहना होगा।

4 निविदादाता को संबंधित सामग्री व उपकरण हेतु पालक एवं दिव्यांगजनो को प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। तत् पश्चात भुगतान किया जाएगा।

5 निविदादाता फर्म का जीवित GST प्रमाण पत्र जो चार्टेट एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

6 निविदा की दर एवं टैक्स पृथक–पृथक रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

7 जिला क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि न्यूनतम दर प्राप्त होने पर अगर उचित समझे तो सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर अधिक दर की सामग्री को अनुमोदन कर सकता है।

8 निविदादाता को सभी संबंधित उपकरणों व सहायक सामग्री का दृष्टांत लाना आवश्यक व अनिवार्य है, सामग्री संबंधित दृष्टांत न होने की स्थिति में निविदा फार्म निरस्त माना जाएगा।

9 दृष्टांत समय लाई सामग्री वितरण करते समय समान होना चाहिए किसी भी प्रकार का बदलाव सामग्री मे करना सही नहीं माना जाएंगा ऐसी स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएंगा।

10 समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

11 निविदादाता निविदा पत्र इस कार्यालय में रू. 1000.00(एक हजार रूपये)भुगतान कर प्राप्त करें, एवं निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में 19,650 रू. शब्दों मे उन्नीस हजार छः सौ पच्चास रू. भारतीय स्टेट बैंक बेमेतरा.**जिला परियोजना कार्यालय,सर्व शिक्षा अभियान,रा.गाँ.शि.मिशन बेमेतरा के नाम देय** का डिमांड ड्राफ्ट देय होगा।

12 सुरक्षा निधि के राशि संलग्न नही होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

13 निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं की जावेगी, अपरिहार्य कारणों से नियत तिथि को निविदा नही खुलने पर जिला क्रय समिति सुविधा से निविदा खोलने के लिए तिथि निर्धारित करेगी। जिसकी सूचना जिले के पोर्टल के माध्यम से निविदादाता को दी जावेगी।

14 आवेदित सामग्री का भुगतान जिला समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन में सामग्री सही एवं चालू हालत में पाये जाने की स्थिति में किया जाना संभव होगा।

15 किन्ही अपरिहार्य कारणो से निविदा निरस्त/निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृध्दि/निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन करने का अधिकार जिला क्रय समिति को होगा, जो कि बिना सूचना की कर सकता है।

16 क्रय आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा क्रय आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

17 किसी भी विवाद स्थिति में कलेक्टर जिला–बेमेतरा का निर्णय अंतिम होगा, एवं दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधन कार्य होगा।

18 निविदा प्रक्रिया के दौरान क्रय समिति ऐसी कोई भी शर्ते निर्धारित कर सकती है, जो शासन हित में हो। यह शर्त समस्त निविदाकर्ता को मान्य एवं उनके लिए बंधनकारी होगा।

19 क्रय समिति के समक्ष निविदा खोले जाने के संबंध दिनांक 16-02-2021 को समस्त सामग्री की सैम्पल सामग्री सक्षम समिति को दिखाना आवश्यक होगा, साथ ही जिला स्तरीय गुणवता परीक्षण समिति द्वारा सैम्पल सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा।

20 गुणवता परीक्षण समिति द्वारा सामग्री का गुणवता सही पाये जाने की स्थति मे ही संबंधित फर्म का निविदा स्वीकार किया जाएगा।

21 निविदा खोले जाने कि तिथि में किसी भी निविदादाता द्वारा वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न करने पर उनके निविदा फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा।

22 जारी निविदा अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा, एवं समय सीमा में बढ़ी हुई दर मान्य नहीं होगा।

23 निविदादाता (फर्म) द्वारा उपकरण एवं सामग्रीयों का 01 वर्ष का वारंटी देय होगा।

जिला मिशन समन्वयक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन बेमेतरा